भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 49

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	3.00	3.00	...	2.73	2.73	8.00	2.86	10.86
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**2.73**	**2.73**	**8.00**	**2.86**	**10.86**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	2.58	2.58	...	2.31	2.31	0.45	2.44	2.89
2. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदान	2852	...	0.35	0.35	...	0.37	0.37	...	0.37	0.37
3. सी.पू.यू. के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन	2852	...	...	...	...	...	...	6.75	...	6.75
4 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	0.80	...	0.80
5. अन्य व्यय	3475	...	0.07	0.07	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
कुल जोड़		**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**2.73**	**2.73**	**8.00**	**2.86**	**10.86**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय और नवरत्न और लघु-रत्नों के लिए गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदानः** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

3. **सी.पी.यू. के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजनः** इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि की लागत के लिए प्रावधान है।

4. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधानः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अन्य व्ययः** उत्तम निष्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पुरस्कारों के प्रदान करने पर होने वाला व्यय तथा चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की पुनर्संरचना के संबंध में पर यू.एन.डी.पी. परियोजना पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए प्रावधान शामिल है।